क्रम-संख्या –75

रजि० नं० एल. डब्लू. /एनं. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 मार्च, 2001

चैत्र 7, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 762/सत्रह-वि०-1—1 (क)-6-2001

लखनऊ, 28 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 पर दिनांक 27 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सार्वजनिक भूमि पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 14 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "आवास परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है;

(ख) "विकास प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण से है;

(ग) "औद्योगिक विकास प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(घ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य आवास परिषद्, किसी विकास प्राधिकरण, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, किसी पंचायत या नगरपालिका से है;

(च) "नगर पालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से है;

(छ) "आप्टिकल फाइबर" का तात्पर्य ऐसे शीशे या प्लास्टिक के फाइबर से है जो लाइट पल्सेज के रूप में सूचना संचारित करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए समर्थ हो;

(ज) "पंचायत" का तात्पर्य, यथास्थिति, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है;

(झ) "सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य किसी भूमि, सड़क, गली, खड़ंजा या अन्य स्थावर संपत्ति से है, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबंध उसके द्वारा किया जाता हो।

अध्यारोही प्रभाव

3—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्ति

4—राज्य सरकार को, किसी लाइसेंसधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अंदर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी।

आप्टिकल फाइबर केबिल को बिछाने और अनुरक्षित करने की अनुमति

5—(1) कोई लाइसेंसधारी, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अंदर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को विहित रीति से आवेदन दे सकता है।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, आवेदित अनुमति प्रदान कर सकती है।

(3) कोई लाइसेंसधारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुमति प्रदान की गयी हो, किसी आप्टिकल फाइबर केबिल को बिछाने उसे अनुरक्षित करने, उसका परीक्षण करने, मरम्मत करने उसको बदलने या हटाने के प्रयोजनार्थ ऐसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अंदर या उस पर प्रवेश कर सकता है, जिस पर ऐसा केबिल बिछाया जाना प्रस्तावित है या बिछा दिया गया है, और उक्त प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक कार्य करने का भी हकदार होगा।

नियम बनाने की शक्ति

6—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया कि ऐसी निजी संस्थाओं को, जो आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाना चाहती हैं, अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जायं। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी निजी संस्थाओं को, जो ऐसी भूमि, सड़क, गली, खड़ंजा या अन्य स्थावर सम्पत्ति के, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध उसके द्वारा किया जाता हो, नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 762 (2)/XVII-V-1—1(KA)–6-2001
Dated Lucknow, March 28, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Bhumi (Optical Fibre Cable Bichhane Aur Uska Anurakshan Karne Ke Liye Anumati) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 27, 2001.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC LAND (PERMISSION FOR PLACING AND MAINTAINING OPTICAL FIBRE CABLE) ACT, 2001

(U.P. ACT NO. 6 OF 2001)
[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

to provide for permission to place and maintain optical fibre cable on a public land.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement

1—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Land (Permission for Placing and Maintaining Optical Fibre Cable) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 14, 2001.

Definitions

2. In this Act,—

(a) "Avas Parishad" means the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965;

(b) "Development Authority" means a Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973;

(c) "Industrial Development Authority" means an Industrial Development Authority constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976;

(d) "licensee" means a person licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885;

(e) "local authority" means the Avas Parishad, a Development Authority, an Industrial Development Authority, a Panchayat or Municipality;

(f) "Municipality" means a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be;

(g) " Optical fibre" means a glass or plastic fibre capable of being used as a medium to transmit information as light pulses;

(h) " Panchayat" means a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat constituted under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 or the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, as the case may be;

(i) "public land" means a land, road street, pavement or other immovable property belonging to, or vested in, or controlled or managed by local authority.

Over-riding effect

3. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force.

Power of the State Government to give permission

4. The State Government shall have power to give permission to a licensee to place and maintain optical fibre cable under, over, along, across in, or upon, any public land.

Permission to place and maintain optical fibre cable

5. (1) Any licensee may make application for permission to place and maintain optical fibre cable under, over along, across in, or upon, any public land, to the State Government in the prescribed manner.

(2) The State Government may, after such inquiry as it considers necessary, give the permission applied for on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) A licensee to whom a permission under sub-section (2) has been given, may, for the purposes of placing, maintaining, examining, repairing, altering or removing any optical fibre cable enter on the public land under, over along, across in, or upon which such cable is proposed to be, or has been, placed and shall also be entitled to do all acts necessary for the said purposes.

Power to make rules

6. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and savings

7. (1) The Uttar Pradesh Public Land (Permission for Placing and Maintaining Optical Fibre Cable) Ordinance, 2001 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 3 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging co-operation of private sector in the development of information technology, it was considered expedient to give maximum facility to private institutions who want to place optical fibre cable. It was, therefore, decided to make a law to empower the State Government, notwithstanding anything to the contrary in any other law for the time being in force, to give permission to such private institutions to place and maintain optical fibre cable under, over, along, across, in or upon the land, road, street, pavement or other immovable property belonging to, or vested in, or controlled or managed by a local authority.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Land (Permission for Placing and Maintaining Optical Fibre Cable) Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no. 3 of 2001) was promulgated by the Governor on February 14, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

Y.R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

P.
finance
3 of 200

पी०एस०यू०पी—ए०पी० 296 सा० विधा०—(7435)—2001—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।